



न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, झवालियर म. >

Adt - 1623-PBR-16

पुनर्याचिका क्र. :-  
प्रस्तुति दिनांक :- 18/05/2016.

- मिसेस लेटर  
सिल्वर स्टेट ड्रॉटर  
कॉर्ट ए प्रस्तुति  
क्रमांक १८-५-१६*
1. श्रीमती कस्तुरी बाई आयु करीब 60 वर्ष पति कडमा कोरकू व्यवसाय कालाकारी रवं ग्रहिणी, निवासी ग्राम घाघरला, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर म ०५०  
— याचिका कत्ति / आपर्तिकर्ता

-वि-

1. उकईबाई आयु करीब 60 वर्ष पुत्री नानु कोरकू  
बुलईबाई आयु करीब 55 वर्ष पुत्री नानु कोरकू  
दोनो निवासी ग्राम घाघरला, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर

— पृथ्यर्थी/आवेदिका गण

-वि-

1. कडमा आयु करीब 65 वर्ष पिता नानु कोरकू  
हिंगीबाई आयु करीब वर्ष पिता नानु कोरकू  
दोनो निवासी ग्राम घाघरला, तह नेपानगर, जिला बुरहानपुर

— पृथ्यर्थी/अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका म. प्र. बृ. रा. संहिता 1959 की धारा 50  
के अंतर्गत याचिकाकर्ता / आपर्तिकर्ता की ओर से ।

ल हमीद नेपानगर के ५-९-८/A-१०/१४-५  
क्रमांक ३७२१६ —

*Ch*

R 1623-पर्म) 16 उमा गुरु

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश   | पक्षकारों एवं अधिकारी के हस्ताक्षर |
|------------------|---|------------------------------------|
| 21.6.2016        | <p>आवेदिका की ओर से श्री हेमन्त श्रेणी अभिभावक उपायित। ग्राम्यता पर कुना गया। तहसीलदार के आदेश दिनांक 3.2.2016 की सभी प्राप्तियाँ जो आवेदन किया गया। प्रश्नाधीन भूमि आवेदिका द्वारा उसे की जाकर उस्तोंबज प्रदूष (किये गये) आते बहु प्रबल में हितेवार पक्षकार है। ऐसी हितादि में तहसीलदार द्वारा आवेदिका को पक्षकार नहीं बनाने से अभावपूर्ण कार्यवाही की गई है। अतः उनका आदेश दिनांक 3.2.2016 निरस्त किया जाकर आवेदिका को पक्षकार बनाने जाने के निरूपण दिये जाते हैं।</p> <p style="text-align: right;">N.G.O.<br/>M/S</p> <p style="text-align: right;">अक्षय<br/>आवेदिका</p> |                                    |